



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016 (MAGHA 27, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 फरवरी, 2016

संख्या 6/2/2016-2विद्युत.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (वटक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त विनियमों के विनियम 30 तथा विनियम 43 के अधीन स्वामी द्वारा चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियन्ता के माध्यम से नये तथा विद्यमान विद्युत प्रतिष्ठापनों के लिये स्वप्रमाणिकरण के प्रयोजन के लिये 33 केवी तक की वॉलटेज अधिसूचित करते हैं।

राजन गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 16th February, 2016

No. 6/2/2016-2P.— In exercise of powers conferred by clause (zka) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Governor of Haryana hereby notifies voltage upto 33 KV for the purpose of self certification for new and existing electrical installations through Chartered Electrical Safety Engineers by the owner under regulation 30 and regulation 43 of the said regulations.

RAJAN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.